

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

47/18

इस प्रकार काउन्सिलरों द्वारा इनिशियल्स
द्वारा उक्त कार्यवाही के संबंध में
प्राप्त हुए दस्तावेजों के प्रतीक
नमायजों के सुपुत्रों द्वारा लंबे
समय 21/17 इकाई 28/18 के प्रमाण
दस्तावेजों के साथ इकाई प्रमाण
का प्रतीक प्रमाणित किया गया है।
किसी भी प्रकार की शिकायत
के बिना प्रमाणित किया गया है।
नमायजों के द्वारा

Kumar

अपतन्त्र अधिकारी एवं
सहायक जजेक्टर
आसपुरा (धीमबाड़ा)



डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन-पत्र

आदेश 21 का नियम 11

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

न्यायालय, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

डिक्रीदार इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन करता है :-

1	वाद संख्यांक	12/2017
2	पक्षकारों के नाम	1. देबीलाल पिता उदा कहार 2. गीता पत्नी रामपाल कहार, 3. किशन पिता रामपाल कहार, 4. दिनेश पिता रामपाल कहार, 5. ईश्वर पिता रामपाल कहार, 6. कालू पिता रामपाल कहार, 7. कैलाश पिता रामपाल कहार, 8. रूपा पिता सुखा कहार, 9. मु. हीरा पिता सुखा कहार एवं 10. मु. घीसी पिता सुखा कहार निवासियान् शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - वादीगण बनाम 1. गोपाल पिता भैरू नायक निवासी शाहपुरा, 2 श्रीमान् तहसीलदार सा. शाहपुरा 3. मैनेजर, एस.बी.बी.जे. शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - प्रतिवादीगणप
3.	डिक्री की तारीख	09.06.2017
4.	क्या डिक्री की कोई अपील की गई	नहीं
5.	यदि कोई सदाय या समायोजन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	नहीं
6.	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	नहीं

7.	डिक्री की रकम, उस पर शाध्य बयान के सहित या एतद्द्वारा प्रदत्त अन्य अनतरेष पूर्ति डिक्री की सब विशिष्टियों के सहित	ग्राम शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.31 है. पर कब्जा प्रतिवादीगण नं. 01 का होने से विधिवत कब्जा वादीगणों को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार सा. शाहपुरा को दिया गया।
8.	यदि खर्चा मदे कोई रकम अधिनिर्णित की गई है तो वह रकम	नहीं
9.	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाये	प्रतिवादीगण नं. 01 से
10	वह ढंग जिससे न्यायालय को सहायता अपेक्षित है।	ग्राम शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.31 है. पर कब्जा प्रतिवादीगण नं. 01 का होने से विधिवत कब्जा वादीगणों को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार सा. शाहपुरा को दिया गया।

दिनांक : 19.06.2018

देबीलाल
हस्ताक्षर

हम देबीलाल पिता उदा कहार, गीता पत्नी रामपाल कहार, किशन पिता रामपाल कहार, दिनेश पिता रामपाल कहार, ईश्वर पिता रामपाल कहार, कालू पिता रामपाल कहार, कैलाश पिता रामपाल कहार, रूपा पिता सुखा कहार, मु. हीरा पिता सुखा कहार, मु. घीसी पिता सुखा कहार निवासियान् शाहपुरा जिला भीलवाड़ा घोषणा करते हैं कि इसमें जो भी लिखा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक : 19.06.2018

देबीलाल
हस्ताक्षर

देबीलाल
हस्ताक्षर